

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: आदेश ::

राज्य सरकार विकलांग भत्ता निशम-1978 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश दिनांक: एफ. 10(4) सुप-2/एफ.डी./76 दिनांक: 13.10.1994 एवं संशोधित आदेश दिनांक: 18.08.1989, 02.05.1993, 12.09.2003 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रुत्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के प्रावधानान्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (सीएचएमओ) राजसमन्द, राजस्थान, के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र सं. SAP/2017/611162 दिनांक 27.11.2017 एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक राजसमन्द के अधिशेष के आधार पर निम्नांकित कार्मिक को इनके आवेदन की दिनांक से उनके मूल वेतन का छः (6) प्रतिशत जो अधिकतम रूपसे 600/- (अखरे रूपसे छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमाचि)	विषय	आवेदन तिथि
1.	श्री लोकेन्द्र कुमार जाटव, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), राजनगर (राजसमन्द)	भौतिक विज्ञान	06.03.2021

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविर/मा/संस्था/सी-3/भौगक/विकलांग भत्ता/2020/147 दिनांक: 23-03-21  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा), माध्यमिक, संभाग
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) राजसमन्द
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), राजनगर (राजसमन्द) को सम्बन्धित कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (रजिस्टर्ड)
6. संबंधित कार्मिक।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर